न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 10/2018 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)

GCMS NO : 2018/00024

अनवान

1. श्री कालु पिता गोता, निवासी–उदपुरिया खालसा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।
2. श्री धुला पिता हकरा, निवासी–उदपुरिया खालसा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।
3. श्री केवा पिता हकरा, निवासी–उदपुरिया खालसा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।
4. श्री सोहन पिता लाला, निवासी–उदपुरिया खालसा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।
5. श्री रोड़ा पिता लाला, निवासी–उदपुरिया खालसा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।
6. श्री कैलाश पिता गांगा, निवासी–उदपुरिया खालसा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।
7. श्री पूंजा पिता मावा, निवासी–उदपुरिया खालसा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।
8. श्री नानजी पिता मावा, निवासी–उदपुरिया खालसा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।
9. श्री रतना पिता देवकरण, निवासी–उदपुरिया खालसा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।
10. श्री नाथु पिता दला, निवासी–उदपुरिया खालसा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री रमेश पिता चौखाराम, निवासी–उदपुरिया खालसा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।
2. श्री लक्ष्मण पिता चौखाराम, निवासी–उदपुरिया खालसा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।
3. श्रीमती सविता पत्नी रमेश, निवासी–उदपुरिया खालसा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।
4. श्री मोहन पिता मांगा, निवासी–उदपुरिया खालसा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।
5. श्री मोहन पिता धन्ना, निवासी–उदपुरिया खालसा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सराड़ा, जिला उदयपुर।

–विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री हर्षद जोशी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री भगवत सिंह, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 3
3. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* *निर्णय* *

दिनांक 28-01-2021

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4), कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 [illegible] किया कि मौजा उदपुरिया खालसा, तहसील सराड़ा की खेवट खतोनी मे दर्ज आराजी संख्या [illegible]2 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, आराजी संख्या 33 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, आराजी संख्या 3[illegible] रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, आराजी संख्या 45 रकबा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 98 रकबा 9 बि[illegible], आराजी संख्या 70 रकबा 2 बीघा 17

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.02.01 11:35:03 IST
Reason: SelfAttested

बिस्वा, आराजी संख्या 71 रकबा 18 बिस्वा, आराजी संख्या 72 रकबा 2 बीघा एवं आराजी संख्या 73 रकबा 1 बीघा भूमि स्थित हो प्रार्थीगण के मूल पुरूष देवकरण ओजा मीणा के नाम जमाबंदी सवत् 2019–22 मे दर्ज थी। मूल पुरूष देवकरण के फोत हो जाने पर सजरे अनुसार प्रार्थीगण वारिस है। उक्त साबिक आराजी नंबरो के जो हाल नंबर बने तथा जो भूमि रास्ते के रूप मे गई एवं मौके पर रास्ता बनाया गया उसके दक्षिण दिशा मे हाल आराजी संख्या 258 एवं 259 बने तथा रास्ते के उत्तर दिशा मे आराजी संख्या 326, 270, 324 व 325 बने तथा उक्त सभी नंबर साबिक के मुकाबले हाल मे वादीगण के नाम दर्ज होने चाहिये थे, किन्तु हाल आराजी संख्या 258, 259 एवं 326 को सेटलमेन्ट विभाग ने सहवन से बिलानाम दर्ज कर दिया एवं दक्षिण भाग प्रकारान्तर मे आराजी संख्या 258 रकबा 0.1400 हेक्टेयर एवं 259 रकबा 0.1200 हेक्टेयर विपक्षी संख्या 1 से 3 को आवंटित कर दी गई। उक्त हाल नंबर 258 एवं 259 साबिक आराजी संख्या 32 एवं 34 से बने है। विपक्षी संख्या 1 से 3 के पिता सरपंच थे, जिन्हाने उक्त भूमि बिलानाम सरकार दर्ज हो जाने के उपरान्त विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम आवंटित करवा दी। विपक्षी संख्या 1 से 3 का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नही रहा एवं वक्त आवंटन विपक्षी संख्या 1 से 3 भूमिहीन नही थे। इस प्रकार उक्त आवंटन प्रारंभ से ही शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 से 3 के पक्ष मे किये गये कथित आवंटन को खारिज किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 से 3 की ओर श्री भगवत सिंह अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर जवाब पेश किया कि वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की न होकर विपक्षीगण के खातेदारी, स्वामित्व एवं आधिपत्य की है। हाल आराजी संख्या 258 रकबा 0.1400 हेक्टेयर एवं आराजी संख्या 259 रकबा 0.1200 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.2600 हेक्टेयर भूमि पर विपक्षी संख्या 1 से 3 का पुराना कब्जा होकर चारो ओर बाड़ लगा रखी है एवं दिनांक 27.02.2006 को विशेष राजस्व अभियान 2006 मे जरिये पत्रावली संख्या 150/2006 से उक्त भूमि का आवंटन हुआ है एवं आज भी विपक्षीगण निर्बाध रूप से निरन्तर शांतिपूर्वक काबिज हो काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि से कोई संबध नही है। पूर्णतया विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही उक्त आवंटन किया गया है। प्रार्थीगण को उक्त आवंटन की प्रारंभ से ही जानकारी होते हुये भी इतने वर्षो बाद जानबूझकर उक्त आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं मयाद कण्डोन बाबत् भी कोई प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। इस प्रकार मयाद के बिन्दु पर भी उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आवंटित भूमि की आराजीयात बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद संख्या 38/2018 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र संख्या 26/2018 माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर सराड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये है। इसके बावजूद प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.02.01 11:35:03 IST
Reason: SelfAttested

पत्र प्रस्तुत किया है, जो निरस्त योग्य होने से सव्यय खारिज किया जावे। शेष विपक्षीगण की ओर से जवाब अप्राप्त रहने से जवाब बन्द किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार सराड़ा से विवादित आराजीयात पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार सराड़ा, जिला उदयपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1802 दिनांक 27.09.2018 से प्रकरण में प्रेषित मौका रिपोर्ट में न्यायालय को अवगत कराया कि मौजा उदपुरिया खालसा के आराजी संख्या 258 रकबा 0.1400 एवं 259 रकबा 0.1200 हेक्टेयर भूमि वर्तमान मे श्री रमेश 1/2 लक्ष्मण पिता चौखाराम 1/4 सविता पत्नी रमेश 1/4 के नाम खातेदारी दर्ज रेकर्ड है एवं वर्तमान मे इन दोनो खसरो मे खरीफ 2075 मे कोई फसल नही बोई गयी है एवं मौके पर भूमि पड़त है, जिस पर उभय पक्ष द्वारा अपना कब्जा बताया जा रहा है। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी सराड़ा से आवंटन से सम्बन्धित मूल पत्रावली संख्या 150/2006 तलब की जाकर मामले में बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को प्रार्थीगण के अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता उपस्थित एवं राजकीय अधिवक्ता हुये। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा बहस मे भाग लेते हुये अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया एवं साबिक आराजी के हाल आराजी संख्या 258 एवं 259 सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिलानाम दर्ज करना, साबिक आराजी प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी के खाते की भूमि होना, विशेष राजस्व अभियान मे नियम विरूद्ध आवंटन होना, आवंटन के पूर्व विधिवत उद्घोषणा जारी न होना, विधि विरूद्ध खातेदारी अधिकार दिया जाना, वर्तमान मे मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा होना अवगत कराया एवं विधि विरूद्ध किये गये ऐसे आवंटन को निरस्त करने की मांग की।

विपक्षी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुये अपने जवाब मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यो पर आधारित होना, विधिवत बिलानाम भूमि का सदभावी काश्तकार होने से आंवटित होना, आवंटन कमेटी का कोरम पूर्ण होना, रेकर्डेड खातेदार होना, मौके पर विपक्षीगण का कब्जा होना, आवंटन मे पूर्णतया विधिक प्रक्रिया का अपनाया जाना अवगत कराया। विपक्षी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि उक्त आराजी पर आवंटन शर्तो की पूर्णतया पालना करने से विपक्षी संख्या 1 से 3 को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त इस न्यायालय में आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के यदि कोई अधिकार उक्त भूमि मे निहित है, तो वह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सराड़ा मे विचाराधीन वाद मे ही तय होने है। उक्त आवंटन मे कोई मिसरिप्रजेन्टेशन नही हुआ है। आवंटी भूमिहीन की श्रेणी मे आते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। विपक्षी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश कियेः—

- आर.आर.टी 2018—19 (एस.एम.पी.) पृ. 1399
- आर.आर.टी. 2018 (2) पृष्ठ 1007

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.02.01 11:35:03 IST
Reason: SelfAttested

- आर.आर.टी. 2018 (1) पृष्ठ 299
- आर.आर.टी 2016–17 (एस.यू.पी.पी.) पृष्ठ 271
- आर.आर.टी 2016 (2) पृष्ठ 756

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, विपक्षी संख्या 1 से 3 के जवाब, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट, आवंटन पत्रावली, न्यायिक दृष्टांतों आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। उपखण्ड अधिकारी सराड़ा से प्राप्त आवंटन पत्रावली संख्या 150/2006 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विशेष राजस्व अभियान 2006 मे विपक्षी संख्या 1 से 3 की ओर से विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा मौजा उदपुरिया खालसा, तहसील सराड़ा की आराजी संख्या 258 रकबा 0.1400 हेक्टेयर, 259 रकबा 0.1200 कुल किता 2 रकबा 0.2600 हेक्टेयर के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट उपरान्त आवंटन कमेटी की राय के आधार पर विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम कथित आवंटन किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर तहसीलदार, पंचायत समिति सदस्य एवं सरपंच के हस्ताक्षर मौजूद हो अध्यक्ष के रूप मे प्रभारी अधिकारी, विशेष राजस्व अभियान 2006 तहसील सराड़ा के हस्ताक्षर उपलब्ध है। आवंटन उपरान्त विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा विपक्षी संख्या 1 से 3 का भूमिहीन काश्तकार न होने का उल्लेख किया है, किन्तु वक्त आवंटन विपक्षी संख्या 1 से 3 के पास आवंटन नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक भूमि उपलब्ध हो अथवा आवंटन नियमानुसार आवंटी भूमिहीन की परिभाषा में न आता हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। विपक्षी संख्या 1 से 3 रेकर्डेड खातेदार है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् 14 (4) की कार्यवाही की जाना न्याय संगत प्रतीत नही होती है। आवंटन मे कोई मिसरिप्रजेन्टेशन हुआ हो या कोई तथ्य विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा छुपाये गये हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। जहां तक भूमि का सेटलमेंट से पूर्व प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी के खातेदारी मे होने एवं सेटलमेंट के दौरान बिलानाम होने का उल्लेख प्रार्थीगण द्वारा किया गया है। इस बाबत् प्रार्थीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, सक्षम न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी सराड़ा मे पेश कर रखा है, जो विचाराधीन हैं एवं इस संबध मे अग्रिम निर्णय सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सराड़ा द्वारा ही पारित किया जाना है। यदि सक्षम न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी सराड़ा द्वारा उक्त वाद स्वीकार कर लिया जाता है तो विपक्षी संख्या 1 से 3 के पक्ष मे किया गया उक्त आवंटन स्वतः ही खारिज हो जाएगा एवं यदि उक्त वाद सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया जाता है तो आवंटन स्वतः ही यथावत हो जाएगा। इस न्यायालय द्वारा मात्र आवंटन प्रक्रिया मे कोई त्रुटि हुई हो या कोई मिसरिप्रजेन्टेशन या गलत तरीके से आवंटन किया गया हो, इसी को देखा जाना हैं। वक्त आवंटन भूमि बिलानाम सरकार दर्ज थी एवं भूमि बिलानाम सरकार दर्ज होने से नियमानुसार विपक्षी संख्या 1 से 3 को आवंटित हुई है। आवंटन में कोई मिसरिप्रजेन्टेशन होना प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित नहीं होता हैं। विपक्षी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण मे चस्पा होते

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.02.01 11:35:03 IST
Reason: SelfAttested

है। इस प्रकार समस्त तथ्यों पर विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4), कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं मौजा उदपुरिया खालसा, तहसील सराड़ा की साबिक आराजी संख्या 258 रकबा 0.1400 हेक्टेयर, 259 रकबा 0.1200 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.2600 भूमि पर उपखण्ड अधिकारी सराड़ा द्वारा मिसल संख्या 150/2006 से विपक्षी संख्या 1 से 3 के पक्ष मे किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है। उभय पक्षकार न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी सराड़ा मे विचाराधीन वाद मे पारित होने वाले निर्णय से पूर्णतया बाध्य रहेगें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.02.01 11:35:03 IST
Reason: SelfAttested